

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना- भवन/स्था-01-पदस्थापन-02/2023..... 719 (न) पटना, दिनांक- 30/11/23

श्री राकेश कुमार, अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी अतिरिक्त प्रभार मुख्य अभियंता (दक्षिण) एवं अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना के दिनांक-31.01.2023 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त भवन निर्माण विभाग के अधीन संविदा के आधार पर मूल धारित पद यथा अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी के पद पर अगले 01 (एक) वर्ष अथवा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) के लिए नियोजित किया जाता है।

2. श्री कुमार अपने कार्यों के अतिरिक्त अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के प्रभार में रहेंगे।

3. इनके कार्यों की समीक्षा समय-समय पर की जायेगी एवं कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द की जा सकेगी।

4. इन्हें योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असेैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. इन्हें सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक-10000 दिनांक-10.07.2015 की कंडिका-3(6)(i) में निहित प्रावधान के अनुसार निर्धारित मानदेय देय होगा। उक्त संकल्प की कंडिका-3(6)(iv) के तहत सेवानिवृत्त और संविदा नियोजन के बीच वेतन/पेंशन पुनरीक्षित हो जाने की स्थिति में भी निर्धारित मानदेय अपरिवर्तित रहेगा। मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग के स्थापना के मुख्य बजट शीर्ष में व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए अदायगियाँ इकाई में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.

(राकेश कुमार सिंह) 30/11/23

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक- 30/11/23

ज्ञापांक:- 719 (न)

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक- 30/11/23

ज्ञापांक:- 719 (न)

प्रतिलिपि:- वित्त (वै0दा0नि0क्र0) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

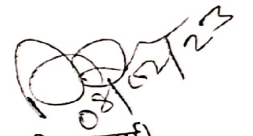
सरकार के संयुक्त सचिव।

भवन निर्माण विभाग

भवन निर्माण विभाग के संलेख ज्ञापक-1044 दिनांक-07.02.2023 में सन्निहित प्रस्ताव मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-08.02.2023 में मद संख्या-18 के रूप में सम्मिलित किया गया। बैठक की कार्यवाही के अवतरण के साथ आपकी संचिका लौटायी जाती है।

18. श्री राकेश कुमार के दिनांक-31.01.2023 को सेवानिवृत्ति के उपरान्त मूल धारित पद अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैधिकी के पद पर अगले 01 (एक) वर्ष तक अथवा अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के पद पर नियमित प्रोन्नति होने तक (जो भी पहले हो) संविदा के आधार पर नियोजित करते हुए अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार देने की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में।

18. स्वीकृत।



(निशीथ वर्मा)
सरकार के संयुक्त सचिव।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

उप सचिव, नं० नि० वि० कोषांग

6-33
8-2-23
9-2-23


9/2/23

कुमार राव

S.O.

D
9/3



9/3-61
09/2/23